

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 960
उत्तर देने की तारीख : 13.12.2022

भिक्षावृत्ति का मुद्दा

960. श्री नारणभाई काछड़िया:
श्री परबतभाई सवाभाई पटेल:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हजारों मासूम बच्चों को भीख मांगने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि बड़ी संख्या में बच्चों को उस उम्र में भीख मांगने के लिए मजबूर किया जाता है जब उन्हें शिक्षा मिलनी चाहिए और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) सरकार द्वारा ऐसे बच्चों को उक्त शोषण से छुटकारा दिलाने में मदद करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और पिछले दो वर्षों के दौरान पुनर्वासित किए गए बच्चों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री ए. नारायणस्वामी)

(क) से (ग): भारत के महारजिस्ट्रार की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार भिक्षावृत्ति के कार्य में लगे बच्चों (14 वर्ष की आयु तक) की संख्या अनुबंध में दी गई है। ये आंकड़े जनगणना 2011 पर आधारित हैं।

विभाग ने स्माइल स्कीम शुरू की थी, तथापि, "स्माइल - लाभवंचित व्यक्तियों की आजीविका और उद्यम हेतु सहायता" नामक स्कीम के कार्यान्वयन की प्रक्रिया विचाराधीन है।

भिक्षावृत्ति का मुद्दा के संबंध में लोकसभा में दिनांक 13.12.2022 को उत्तर के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 960 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

क्र.सं.	भारत/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बच्चा (0-14 वर्ष)
1	जम्मू और कश्मीर	990
2	हिमाचल प्रदेश	178
3	पंजाब	1214
4	चंडीगढ़	11
5	उत्तराखंड	274
6	हरियाणा	1171
7	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	290
8	राजस्थान	7167
9	उत्तर प्रदेश	10167
10	बिहार	3396
11	सिक्किम	1
12	अरुणाचल प्रदेश	24
13	नागालैंड	20
14	मणिपुर	34
15	मिजोरम	6
16	त्रिपुरा	43
17	मेघालय	38
18	असम	686
19	पश्चिम बंगाल	3216
20	झारखंड	1254
21	ओडिशा	905
22	छत्तीसगढ़	1065
23	मध्य प्रदेश	2592
24	गुजरात	1982
25	दमन और दीव	8
26	दादरा और नगर हवेली	0
27	महाराष्ट्र	3026
28	आंध्र प्रदेश	3128
29	कर्नाटक	1602
30	गोवा	24
31	लक्षद्वीप	1
32	केरल	202
33	तमिलनाडु	572
34	पुदुचेरी	9
35	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0
	भारत	45296